



WUEGA का अधिनियमन: महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम

यह एडिटरियल 04/03/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित ["A women's urban employment guarantee act"](#) लेख पर आधारित है। इसमें एक राष्ट्रीय स्तर के महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) की संभावना पर विचार किया गया है।

प्रलम्ब के लिये:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), बेरोज़गारी दर, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), अय्यंकाली शहरी रोज़गार गारंटी योजना (AUEGS), मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन (DAY-NULM), पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर नधि (PM SVANidhi)।

मेन्स के लिये:

महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) - आवश्यकता एवं संभावित चुनौतियाँ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act- MGNREGA) अकुशल शारीरिक कार्य के लिये प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने में सहायक रहा है। हालाँकि इसकी शहरी वास्तविकताएँ भिन्न हैं।

शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, जो शहरी महिलाओं के बीच रोज़गार की उच्च अपूर्ण मांग को दर्शाती है। इस परदृश्य में, भारत में महिलाओं के बीच शहरी बेरोज़गारी की चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक राष्ट्रीय महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (Women's Urban Employment Guarantee Act- WUEGA) का प्रस्ताव किया गया है।


प्रस्तावित महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA):

- परिचय:** महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) एक प्रस्तावित विधान है जिसका उद्देश्य शहरी बेरोज़गारी को, विशेष रूप से महिलाओं के लिये, संबोधित करना है। यह विशेष रूप से शहरी महिलाओं के लिये रोज़गार के अवसरों की गारंटी देने की मंशा रखता है।
- उद्देश्य:** WUEGA का लक्ष्य शहरों में पुरुषों और महिलाओं के बीच रोज़गार के अवसरों में अंतराल को दूर करना होगा। WUEGA एक सुरक्षा जाल (safety net) और आय सुरक्षा प्रदान करने के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और शहरी कार्यबल में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।
- संभावित विशेषताएँ:**
 - रोज़गार की गारंटी:** WUEGA महिलाओं को प्रतिवर्ष न्यूनतम कार्यदिवस (उदाहरण के लिये, 150 दिनों) की गारंटी देने का प्रस्ताव करता है।
 - स्थानीय कार्य:** महिला के नविस से उचित दूरी (जैसे, 5 किलोमीटर) के भीतर कार्य अवसर सृजित किये जाएँगे।
 - अभिव्यक्ति अवसर:** कामकाजी माताओं के समक्ष वदियमान चुनौतियों का समाधान करने के लिये कार्यस्थलों पर बाल देखभाल केंद्रों जैसी आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं।
 - कौशल विकास:** प्रस्ताव में उपलब्ध कार्य अवसरों और आवेदक समूह में महिलाओं की योग्यता के बीच किसी भी कौशल अंतराल को दूर करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं।
 - महिला-नेतृत्वकारी प्रबंधन:** यह प्रस्ताव करता है कि WUEGA प्रबंधन कर्मचारियों में एक उल्लेखनीय भाग महिलाओं का हो; WUEGA के अंतर्गत कार्यक्रम प्रबंधन कर्मचारी की कम से कम 50% (आदर्श रूप से 100%) महिलाएँ हो।
 - समर्थनकारी उपाय:** कल्याण बोर्डों में स्वचालित समावेशन जैसे प्रोत्साहन उपाय अपनाये जा सकते हैं; ये मातृत्व अधिकार और पेंशन प्रदान करने वाली एजेंसियों के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा आपातकालीन नधि के लिये स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं।

महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) की आवश्यकता क्यों है?


- शहरी रोज़गार में लैंगिक असमानताएँ:

- शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में प्रायः लिंग-आधारित असमानताएँ देखी जाती हैं। [आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण \(PLFS\)](#) के अनुसार, वर्ष 2023 की अंतिम तमिही में केवल 22.9% शहरी महिलाएँ ही कार्यरत थीं।
 - शहरी क्षेत्रों में कार्यबल से बाहर मौजूद महिलाओं (15-59 आयु वर्ग) की संख्या लगभग 10.18 करोड़ है।
- मौजूदा शहरी रोज़गार योजनाएँ महिलाओं के समक्ष वदियमान इन वशिष्टि चुनौतियों को उपयुक्त रूप से संबोधित नहीं करती हैं।
- **आर्थिक सशक्तीकरण और सतत विकास लक्ष्यः**
 - WUEGA शहरी महिलाओं को गारंटीकृत रोज़गार के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाएगा। न्यूनतम कार्यदविस सुनशिचति करने से यह महिलाओं को अपने घरों और समुदायों में योगदान कर सकने में सक्षम बनाता है।
 - लैंगिक समानता और आर्थिक सशक्तीकरण सहित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये महिलाओं के रोज़गार को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।
- **बच्चों की देखभाल और समर्थनकारी अवसंरचनाः**
 - शहरी महिलाओं के बीच शक्तिषा के उच्च स्तर के बावजूद सामाजिक मानदंडों, सुरक्षा चिंताओं और परविहन तक सीमति पहुँच जैसे वभिन्न कारकों के कारण कार्यबल में उनकी भागीदारी कम बनी हुई है।
 - WUEGA कार्यस्थलों पर बाल देखभाल सुवधियों की आवश्यकता पर बल देता है। ये प्रावधान महिलाओं को उनकी देखभाल संबंधी ज़मिमेदारियों से समझौता कयि बना रोज़गार में भाग ले सकने में सक्षम बनाते हैं।
- **सफल ग्रामीण रोज़गार योजनाओं से सबक लेनाः**
 - WUEGA मनरेगा (MGNREGA) जैसी सफल ग्रामीण रोज़गार योजनाओं से प्रेरणा ग्रहण करते हुए शहरी संदर्भों के लिये सदृश मॉडल को अपना सकता है।
 - WUEGA मौजूदा ढाँचे और अनुभवों का लाभ उठाकर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये सदिध रणनीतियों का नरिमाण कर सकता है।
- **आर्थिक वृद्धि और विकास की संभावनाः**
 - महिलाओं की रोज़गार दर में वृद्धि श्रम शक्ति का वसितार और उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के रूप में आर्थिक विकास के लिये उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है।
 - WUEGA में शहरी महिलाओं की प्रतभि एवं सक्षमताओं का उपयोग करते हुए व्यापक आर्थिक विकास लक्ष्यों में योगदान कर सकने की क्षमता है।



More Rural Women Return to Workforce than Urban Females

Female labour force participation in rural India recovered swiftly in the past five years; gradual increase for urban areas




 Rural  Urban

Labour Force Participation Rate




Steady fall in unemployment rate since FY 2018



महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) को लागू करने में संभावित चुनौतियाँ:

- वित्तीय बोझ:

- गारंटीकृत रोज़गार प्रदान करने से वेतन/मज़दूरी, अवसंरचना विकास (उदाहरण के लिये, कार्यस्थलों पर बाल देखभाल सुविधाएँ) और कार्यक्रम प्रशासन के संबंध में उल्लेखनीय लागत उत्पन्न होती है।
- उदाहरण के लिये, यदि 500 रुपए दैनिक मज़दूरी के साथ प्रतिवर्ष 150 दिनों के कार्य की कल्पना करें, जिसका वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है, तो इस पर **सकल घरेलू उत्पाद** का लगभग 1.5% व्यय करना होगा।
- **स्थानीय क्षेत्र में रोज़गार सृजन:**
 - किसी महिला के निवास से उचित दूरी (उदाहरण के लिये, 5 किलोमीटर) के भीतर पर्याप्त विविध कार्य अवसर का सृजन करना, विशेष रूप से सघन आबादी वाले शहरों में, चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
 - कार्यक्रम में उपयुक्त कार्य विकल्पों की अभिकल्पना के लिये स्थानीय आवश्यकताओं एवं आधारभूत संरचनाओं पर विचार करने की आवश्यकता होगी।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:**
 - शहरी परिवेश में महिलाओं के लिये, विशेष रूप से कार्य के लिये आवागमन के दौरान, सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।
 - सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न या हिसा का भय महिलाओं को रोज़गार के अवसर तलाशने से हतोत्साहित कर सकता है, जिससे कार्यबल में उनकी भागीदारी सीमित हो सकती है।
 - NCRB की **वार्षिक अपराध रिपोर्ट 'भारत में अपराध 2022' के आँकड़ों के अनुसार, प्रति एक लाख जनसंख्या** पर महिलाओं के वसुध्द अपराध की दर 66.4 थी, जबकि ऐसे मामलों में आरोप पत्र दाखल करने की दर 75.8 दर्ज की गई थी।
- **कौशल अंतराल:**
 - कई शहरी महिलाओं में औपचारिक रोज़गार के अवसरों के लिये आवश्यक कौशल एवं अनुभव की कमी हो सकती है।
 - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच सीमित हो सकती है, जिससे कौशल स्तरों में असमानताएँ उत्पन्न हो सकती हैं और महिलाओं की रोज़गार क्षमता (employability) में बाधा आ सकती है।
- **क्षमता निर्माण:**
 - सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन में कम से कम 50% महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करना आरंभ में कठिन सिद्ध हो सकता है।
 - कार्यक्रम के प्रबंधन के लिये एक सुदृढ़ महिला कार्यबल के निर्माण के लिये केंद्रित क्षमता-निर्माण पहल की आवश्यकता हो सकती है।
- **कानूनी और नौकरशाही संबंधी बाधाएँ:**
 - कुशल कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिये पंजीकरण, नौकरी आवंटन, शिकायत नविवारण एवं नगिरानी के प्रबंधन हेतु एक सुव्यवस्थित नौकरशाही की आवश्यकता होगी।
 - ऐसे व्यक्तियों या समूहों द्वारा वरिध की स्थिति बन सकती है जो परिवर्तन के प्रतिरोधी हैं और यथास्थिति बनाए रखने की वकालत करते हैं। यह महिलाओं के रोज़गार अधिकारों को बढ़ाने के उद्देश्य से कानून के पारति होने में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **सामाजिक मानदंड और लैंगिक रूढविदति:**
 - शहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक अपेक्षाएँ कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को स्वीकार करने में बाधक बन सकती हैं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक लिंग भूमिकाएँ अधिक प्रकट हैं।
 - देखभालकर्ता या गृहणी के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं के संबंध में प्रचलित रूढविदति औपचारिक रोज़गार में उनकी भागीदारी के लिये प्रतिरोध पैदा कर सकती है।



भारत में शहरी रोज़गार के लिये की गई सरकारी पहलें:

- **केंद्र सरकार द्वारा:**
 - [दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन \(DAY-NULM\)](#)
 - [प्रधानमंत्री सटरीट वेंडर आतमनरिभर नधि \(पीएम SVANidhi\)](#)
- **राज्य सरकारों द्वारा:**
 - **केरल** देश के पहले राज्यों में से एक था जसिने **'अयंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना' (Ayyankali Urban Employment Guarantee Scheme- AUEGS)** के माध्यम से 100 व्यक्ति-दिवस का गारंटीकृत वेतन रोजगार प्रदान किया था, जसि वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था। योजना दशानरिदेशों के अनुसार केरल में शहरी स्थानीय नकियाओं (ULBs) को महिलाओं को इस प्रकार प्राथमकता देने की आवश्यकता है कवि योजना के लाभार्थियों में कम से कम 50% हसिसेदारी रखती हों।
 - **हमाचल प्रदेश** की **मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना** वर्ष 2020 में लॉन्च की गई जो एक वत्तितीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 120 दनियों की गारंटीकृत वेतन रोजगार प्रदान करने के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर लक्षति है।
 - **झारखंड** में **मुख्यमंत्री शर्मकि योजना** वर्ष 2020 में लॉन्च की गई जो एक वत्तितीय वर्ष में गारंटीकृत 100 दनि का वेतन रोजगार प्रदान कर राज्य में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर लक्षति है।

WUEGA के प्रभावी अधनियमन के लयि आगे की राह:

- **लगि-वभिदीकृत डेटा एकत्रति करना:**
 - लगि-वभिदीकृत डेटा (Gender-disaggregated data) नीतनरिमाताओं को शहरी महिलाओं के समक्ष रोजगार तक पहुँच और कार्यरत बने रहने में वदियमान वशिषिट चुनौतियों के बारे में मूल्यवान अंतरदृष्टि प्रदान करता है।
 - संग्रहति डेटा में पसंद की जाती नौकरियों के रुझान, वर्ष के वे दनि जब महिलाएँ इन कार्य अवसरों से संलग्न होती हैं, योजना का चयन करने वाली महिलाओं की शकिसा का स्तर इत्यादि को दर्ज किया जाना चाहयि।
- **लैगकि दृष्टि से शहरी रोजगार योजना तैयार करना:**
 - महिला शहरी रोजगार गारंटी अधनियम (डब्ल्यूयूईजीए) को एक सर्वव्यापी कानून के रूप में प्रारूपति किया जाए, जो लगि-वभिदीकृत डेटा के आधार पर सरकार और प्रापुतकर्ताओं दोनों के अधिकारों, वशिषाधिकारों एवं उत्तरदायतियों को नरिपुति करता हो।
 - वधिान में समान कार्य के लयि समान वेतन अनविरय किया जाना चाहयि, जहाँ यह सुनशिचति करना चाहयि कभिमहिलाओं को समान कार्य भूमकियाओं एवं जमिमेदारियों के लयि अपने पुरुष समकक्षों के समान वेतन प्रापुत हो।
- **संसाधन आवंटन और क्षमता नरिमाण:**
 - WUEGA के कार्यानवयन के लयि पर्यापुत वत्तितीय संसाधन आवंटति किया जाए ताकवि वेतन, प्रशासनकि व्यय, अवसंरचना वकिसा और क्षमता नरिमाण पहल के लयि पर्यापुत धन उपलब्ध हो।
 - WUEGA के प्रभावी कार्यानवयन एवं प्रबंधन को सुनशिचति करने के लयि सरकारी अधिकारियों, कार्यक्रम प्रशासकों और लाभार्थियों के लयि प्रशकिसण एवं क्षमता नरिमाण कार्यक्रम प्रदान कयि जाएँ।
- **कार्यानवयन के लयि चरणबद्ध दृष्टिकोण:**
 - WUEGA को लागू करने की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लयि चुनदि शहरी क्षेत्रों में पायलट कार्यक्रम शुरू कयि जाएँ। वभिनिन शहरी क्षेत्रों की तैयारी का आकलन करने और संभावति चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने के लयि व्यवहार्यता अध्ययन आयोजति कयि जाएँ।
 - WUEGA का कार्यानवयन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। इसका आरंभ शहरी क्षेत्रों से हो जहाँ अवसंरचना एवं समर्थनकारी प्रणालियाँ अपेक्षाकृत सुवकिसति होती हैं और फरि धीरे-धीरे इसे अन्य क्षेत्रों में वसितारति किया जाए।
- **कार्यानवयन की प्रगति की नगिरानी करना:**
 - रोजगार सृजन, आय वृद्धि और कौशल वकिसा जैसे परणामों पर ध्यान देने के साथ कार्यानवयन की प्रगति की नगिरानी करने, कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने तथा सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लयि सुदृढ़ नगिरानी एवं मूल्यांकन तंत्र स्थापति कयि जाएँ।
- **सुरक्षा संबंधी चतिओं का समाधान करना:**
 - सुरक्षा चतिओं को कम करने और अधिक कार्यबल भागीदारी को प्रोत्साहति करने के लयि सार्वजनकि स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उपाय लागू कयि जाएँ, जनिमें पर्यापुत प्रकाश व्यवस्था, नगिरानी प्रणाली एवं पुलसि गश्त बढ़ाना शामिल है।
- **महिला उद्यमियों का समर्थन करना:**
 - महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लयि सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, जसिमें वत्तितीय संसाधनों, परामर्श कार्यक्रमों एवं नेटवर्कगि अवसरों तक पहुँच शामिल है, ताकवि रोजगार और आर्थकि सशक्तीकरण के लयि वैकल्पकि अवसर सृजति कयि जा सकें।
- **साझेदारी और सहयोग:**
 - नागरकि समाज संगठनों, सामुदायकि समूहों, नजी क्षेत्र के हतिधारकों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी का नरिमाण किया जाए।
- **जागरूकता बढ़ाना और दृष्टिकोण में बदलाव लाना:**
 - लैगकि रूढविदति को चुनौती देने, लैगकि समानता को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं की भूमकियाओं एवं क्षमताओं के प्रता सामाजकि दृष्टिकोण को बदलने के लयि जागरूकता अभयान एवं संवेदीकरण कार्यक्रम संचालति कयि जाएँ।

नषिकरष:

भारत का संवधिान समानता एवं सामाजकि न्याय के सदिधांतों का समर्थन करता है, जहाँ रोजगार में लैगकि असमानताओं को दूर करने के लयि सकारात्मक कार्रवाई का उपबंध किया गया है। WUEGA को लागू करना लैगकि समानता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के इन संवेधानकि अधदिशों एवं और नैतिक दायतियों के अनुरूप है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता और आगे की राह की संभावित बाधाओं पर विचार कीजिये। देश में महिलाओं के प्रभावी आर्थिक सशक्तीकरण हेतु आवश्यक रणनीतियाँ बताइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन ग्रामीण क्षेत्रीय नरिधनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का कसि प्रकार प्रयास करता है? (2012)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए वनरिमाण उद्योग तथा कृषि वियापार केंद्र स्थापति कर।
2. 'स्व-सहायता समूहों' को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएँ प्रदान कर।
3. कृषकों को नःशुल्क बीज, उर्वरक, डीज़ल पंपसेट तथा लघु सचिाई सयंत्र देकर।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्र. भारत में महिलाओं की सशक्तीकरण प्रक्रिया में 'गगि इकोनॉमी' की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/enact-wuega-women-s-urban-employment-guarantee-act>

